



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

जी.ए. - 620 / नि. (न.वि.) जी.स.सी. 2026 24/02/25

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की कोयल एन्क्लेव योजना में भूखण्ड संख्या जी.एच.-05 एवं 06 मैसर्स कदम्बा स्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 24142.86 वर्गमी. है। भूमि पर मैसर्स कदम्बा स्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्लॉटेड डवलपमेन्ट (बहु आवासीय इकाईयों) हेतु ऑनलाईन मानचित्र सं.-GDA/LD/25-26/1586 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृत तलपट मानचित्र ग्रुप हाउसिंग (उच्च क्रिया) से आवासीय प्लॉटेड डवलपमेन्ट (न्यून क्रिया) में परिवर्तन किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड की 171वी बैठक दिनांक 19.02.2026 में अनुमोदन प्रदान किया गया है। तलपट मानचित्र में संशोधन से पूर्व शासनादेश संख्या 2438/9-आ-3-98-60 एल.यू.सी./96 दिनांक 13 अक्टूबर 1998 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (संशोधित) की धारा 13 एवं मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत लोक महत्व के दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर जनसामान्य से 15 दिन की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। अतः उपरोक्त के क्रम में यदि कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहते हैं तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में जन सम्पर्क कार्यालय, गा.वि.प्रा. एवं मुख्य नगर नियोजक, कार्यालय, गा.वि.प्रा. में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण